रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2001/वैशाख 28, 1923
No. 319] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2001/VAISAKHA 28, 1923

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई, 2001

का.आ. 440(अ).— केन्द्र सरकार ने, विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 23 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1043(अ) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) के तहत नेशनल डैमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोरोलैंड (एन डी एफ बी) को विधि विरुद्ध संगम घोषित किया था ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 15 दिसम्बर, 2000 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1121(अ) के तहत विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण गठित किया जिसके अध्यक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री सिरीयाक जोसफ थे ;

और केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना को 15 दिसम्बर, 2000 को उक्त अधिकरण को इस बात का न्यायनिर्णयन करने के उद्देश्य से भेजा था कि क्या उक्त संगम को विधिविरुध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण हैं या नहीं ;

और उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 15 मई, 2001 को आदेश दिया जिसमें उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की गई थी ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 कीर उप-धारा (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार उक्त अधिकरण के उक्त आदेश को प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिकरण

के संबंध में	:	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड(एनडीएफबी)
कोरम	:	माननीय न्यायाधीश सिरीयाक जोसफ
उपस्थित	:	श्री यू हजारिका , भारत संघ के अधिवक्ता श्री विजय हंसारिया, असम राज्य के अधिवक्ता

आदेश

(1) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम,1967 (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने अधिसूचना का.आ. 1043 (अ) दिनांक 23.11.2000 जारी की थी जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड को विधि विरूद्ध संगम घोषित किया गया था । उक्त अधिसूचना के अनुसार बोडो सिक्युरिटी फोर्स, जिसका नया नाम नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलैंड (जिसे इसमें इसके पश्चात एनडीएफबी कहा गया है) का पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र पृथकतावादी संगठनों के साथ मिलकर बोडोलैंड को 'मुक्त कराना', जिसके परिणाम स्वरूप उक्त क्षेत्र भारत संघ से अलग हो जाए और भारत बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय मुक्ति के लिए उस क्षेत्र के समान विचारधारा वाले संगठनों से मिलकर संघर्ष जारी रखना और उससे बोडोलैंड को भारत से अलग कराना प्रव्यंजित उददेश्य है । केन्द्रीय सरकार की राय है कि एन.डी.एफ.बी. :

(i) पृथक बोडोलैंड स्थापित करने के अपने उददेश्य को अग्रसर करने के लिए ,भारत की प्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विच्छिन्न करने वाले या के लिए आशयित अनेक अवैध और हिंसात्मक क्रियाकलापों में लिप्त रहा है:

(ii) पृथक बोडोलैंड के सृजन के लिए अन्य विधि विरूद्ध संगमों, जैसे यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यू0एल0एफ0ए0) और नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड (एन0एस0सी0एन0) के साथ संबद्ध रहा है:

(iii) इस अवधि के दौरान भी जब इसे विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया था, यह अपने ध्येय और उददेश्य के अनुसरण में कई हिंसक और विधि विरुद्ध क्रियाकलापों में लगा हुआ था जिससे कि उसने सरकार के प्राधिकार को जर्जरित किया है और जनता में आतंक और संत्रास फैलाया है।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि एनडीएफबी के हिंसक क्रियाकलापों में निम्नलिखित क्रियाकलाप सम्मिलित है :-

(i) 23.11.98 से 30.6.2000 की अवधि के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसक और आतंकवादी घटनाएं हुई जिनमें 171 हत्याएं भी सम्मिलित हैं, जो एन.डी.एफ.बी. द्वारा की गई मानी जा सकती है .

(ii) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए वित्त पोषण और योजनाओं के निष्पादन की दृष्टि से फिरौती के लिए अपहरण के कार्यों के अतिरिक्त व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों और अन्य सिविलियनों से जबरन धन वसूलना :

(iii) अपनी आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए, नए कैडरों की भर्ती और जिला, आंचलिक और शाखा समितियों के पुनर्गठन के लिए व्यवस्थित अभियान चलाना,

(iv) संगठन के उद्देश्य को विशिष्टता देने वाली तथा केन्द्रीय सरकार पर शोषण का आरोप लगाने वाली और लोगों को तथाकथित मुक्ति संघर्ष में शामिल होने के लिए उकसाने वाली और इस प्रकार उन्हें निष्ठा-विमुख करने वाली गुप्त पत्रिका प्रकाशित करना,

(v) अपने काडरों को पुलिस भेदियों/सरकार के सहयोगियों की सूची तैयार करने के लिए हिदायत देना जिससे उनके विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्रवाई करने के लिए लक्ष्य की पहचान की जा सके,

(vi) गैर-बोड़ो लोगों में डर और असुरक्षा फैलाने और उन्हें बोडो क्षेत्रों से प्रव्रजन के लिए मजबूर करने की दृष्टि से हत्याकाण्ड और जातीय हिंसा फैलाना, जिसके परिणामस्वरूप हत्याएं, संपत्ति का विध्वंस और हजारों गैर बोडो का असम बोंगाईगांव और बरपेटा जिलों में स्थित उनकी रोजी-रोटी और घरों से निर्गमन हुआ,

(vii) इसके पृथकतावादी क्रियाकलापों को चलाने के लिए देश की सीमा से पार कैम्पों और छिपने के ठिकानों की स्थापना करना,

(viii) पृथक बोडोलैण्ड के सृजन के लिए उनके संघर्ष में शस्त्र और अन्य सहायता प्राप्त करने के लिए अन्य देशों में भारत-विरोधी शक्तियों की सहायता लेना, आदि ।

और केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि पूर्वोक्त कारणों से, एन0डी0एफ0बी0 के क्रियाकलाप भारत की प्रभुता और अखण्डता के लिए हानिकर हैं और यह एक विधिविरुद्ध संगम है,

2. केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि एन0डी0एफ0बी0 के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है तो संगठन पुनः समूहित हो सकता है और पुनः स्वयं को शस्त्र से सज्जित कर सकता है, नई भर्तियां कर सकता है, हिंसा, आतंकवादी और पृथकतावादी क्रियाकलापों में लग सकता

है, निधि आदि का संचय कर सकता है और निर्दोष नागरिकों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों के जीवन को संकटापन्न कर सकता है और इसलिए ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनसे एन0डी0एफ0बी0 को तात्कालिक प्रभाव से, विधि विरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक हो जाता है । केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि ऊपर उल्लिखित एन0डी0एफ0बी0 के क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए, और हाल ही में विगत काल में पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध इस इकाई द्वारा बढ़ाई जा रही हिंसा का सामना करने के लिए तात्कालिक प्रभाव से, एन0डी0एफ0बी0 को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है । अतः दिनांक 23 नंवबर 2000 की उपरोक्त उल्लिखित अधिसूचना में, केन्द्र सरकार ने, अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ,यह निदेश दिया कि उक्त अधिसूचना अधिनियम की धारा 4 के तहत बनाए गए किसी आदेश के अध्यधीन रहते हुए, सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी । दिनांक 23 नवंबर,2000 की उक्त अधिसूचना दिनांक 23 नवंबर 2000 के भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित हुई थी । इस प्रकार उक्त अधिसूचना 23 नवंबर,2000 से प्रभावी हुई ।

3. अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के तहत दिनांक 15 दिसंबर 2000 को जारी बाद की अधिसूचना का.आ. 1121(अ) के द्वारा केन्द्र सरकार ने इस अधिकरण का गठन यह न्यायनिर्णयन करने के लिए किया कि क्या एनडीएफबी को विधि-विरूद्ध संगम घोषित करने केलिए पर्याप्त कारण है अथवा नहीं । दिनांक 12.01.2001 को हुई अधिकरण की प्रथम बैठक में एनडीएफबी को अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) के तहत नोटिस जारी किया गया था जिसे 2 मार्च,2001 को लौटाया जाना था । यह भी निदेश दिया गया था कि नोटिस की नार्थ ईस्ट टाईम्स (अंग्रेजी), सेंटिनेल (अंग्रेजी) तथा दैनिक असोम (असमिया) के एक अंक में प्रकाशित करके तामील की जाएगी तथा इसे रेडियो और टेलीविजन पर प्रसारित किया जाएगा । आगे यह भी निदेश दिया गया था कि नोटिस की तामील एनडीएफबी के कार्यालय, यदि कोई हो , के किसी सुस्पष्ट हिस्से में, नोटिस की प्रतिलिपि लगा कर की जाएगी यह इस नोटिस की तामील जहां कहीं तक संभव हो, जिला/तहसील के मुख्यालयों में प्रत्येक जिला मेजिस्ट्रेट /तहसीलदार के नोटिस बोर्ड पर चिपका कर भी की जाएगी । अधिकरण के दिनांक 12.01.2001 के आदेश के अनुसरण में केन्द्र सरकार तथा साथ ही साथ असम सरकार (जिसे इसमें इसके बाद राज्य सरकार कहा गया है) ने भी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के तहत नोटिस के तामील होने के बारे में हलफनामे दाखिल किए । तथापि, यह देखा गया कि हालांकि निदेश यह था कि इसे नार्थ ईस्ट टाईम्स (अंग्रेजी) , सेंटिनेल (अंग्रेजी) और दैनिक असोम (असमिया) के एक अंक में प्रकाशित किया जाए , नोटिस वस्तुतः असम ट्रिब्यून (अंग्रेजी) , सेंटिनेल (अंग्रेजी) और अमर असोम (असमिया) में प्रकाशित हुआ था । अतः दिनांक 2.3.2001 को अधिकरण ने निदेश दिया कि नोटिस नार्थ ईस्ट टाईम्स (अंग्रेजी) और दैनिक असोम (असमिया) में प्रकाशित किया जाए जो दिनांक 7.4.2001 को लौटाया जाएगा । दिनांक 2.3.2001 के उक्त आदेश के अनुसार नोटिस को दिनांक 4.3.2001 को नॉर्थ ईस्ट टाईम्स (अंग्रेजी) तथा दैनिक असोम (असमिया) में प्रकाशित किया गया था । प्रकाशन के जरिए नोटिस की तामील संबंधी आवश्यक हलफनामा श्री जितेन्दर बीर सिंह, निदेशक (असम) गृह मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा दायर किया गया था ।

4. उपरोक्त अनुसार नोटिस भेजे जाने के बावजूद भी एनडीएफबी अधिकरण के समक्ष पेश नही हुआ और न ही कोई आपति दर्ज की । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पेश हुए तथा साक्ष्य के जरिए हलफनामे दाखिल करने की अनुमति मांगी । केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को साक्ष्य के आधार पर हलफनामा दर्ज करने की अनुमति दी गई थी । इसके बाद श्री जी.के. कलिथा , संयुक्त सचिव , असम सरकार, श्री आर.डी. बरूआ , पुलिस अधीक्षक , एस.ओ यू, एसबी मुख्यालय , काहिलीपाड़ा,श्री एम.पी.गुप्ता, पुलिस अधीक्षक दारांग, श्री अनिल फुंकन, पुलिस अधीक्षक, कोकराझार , श्री पी.सी. नियोग, पुलिस अधीक्षक , बारपेटा, श्री ए. तंखा, पुलिस अधीक्षक नालवाडी, श्री पी.के . दास, पुलिस अधीक्षक , सोनित पुर , श्री जीपी सिंह , पुलिस अधीक्षक सिटी गुवाहाटी, श्री पी.डी. गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक रेलवे, पांडु, श्री रत्ती राम, अवर सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार और श्री जितेन्द्र बीर सिंह, निदेशक (असम) , गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने साक्ष्य के आधार पर हलफनामे दर्ज किए । दिनांक 7.4.2001 केआदेश से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को निदेश दिया गया कि वे साक्ष्य की रिकार्डिग करने के लिए 11.1.2001 को अपने गवाह प्रस्तुत करें । तदनुसार , श्री पी.सी. नियोग , पुलिस अधीक्षक , बारपेटा (पी.डबल्यू-1) , श्री ए. तंखा, पुलिस अधीक्षक नालबाडी (पी डब्ल्यू-2) , श्री एम.पी. गुप्ता, पुलिस अधीक्षक , दारांग, (पी डब्ल्यू-3) , श्री अनिल फुंकन, पुलिस अधीक्षक, कोकराझार (पी डब्ल्यू-4) , श्री पी.के. दास , पुलिस अधीक्षक , सोनितपुर (पीडब्ल्यू-5) , श्री जी.पी. सिंह, पुलिस अधीक्षक, सिटी गुवाहाटी (पीडब्ल्यू-6) , श्री पी.डी. गोस्वामी , पुलिस अधीक्षक , रेलवे, पांडु , (पी डब्ल्यू-7), श्री आर.डी. बरूआ , पुलिस अधीक्षक , एसओयू, एसबी मुख्यालय, काहिलीपाडा (पी डब्लयू-8) , श्री जी.के. कलिथा, संयुक्त सचिव , असम सरकार (पी डब्ल्यू-9) और श्री जितेन्दर बीर सिंह, निदेशक (असम), गृह मंत्रालय, भारत सरकार (पी डब्ल्यू-10) दिनांक 11.1.2001 को अधिकरण के सम्मुख गवाह के रूप में प्रस्तुत हुए और साक्ष्य को रिकार्ड किया गया । अपने अभिसाक्ष्यों में गवाहों ने उनके द्वारा दर्ज किए हलफनामों में निहित बयानों की पुष्टि की । एनडीएफबी की ओर से कोई नहीं आया और किसी ने भी गवाहों से जिरह नही की ।

5. रिकार्ड में रखी गई सामग्री और केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की ओर से दिए गए साक्ष्य से यह देखा जा सकता कि बोडो सुरक्षा बल , जिसे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोरोलेंड (एनडीएफबी) के रूप मे पुनः नाम दिया गया था , का गठन 1986 में इस उददेश्य और ध्येय के साथ किया गया था कि असम के बोडो लोगों के क्षेत्रों को भारत से मुक्त कराया जाए और सशस्त्र संघर्ष से एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना की जाए । इसने निरंतर ही अपने सिद्धांतों का पालन करना जारी रखा । सशस्त्र संघर्ष से पृथक बोडोलैंड स्थापित करने के अपने उददेश्य को आगे बढाने के लिए एनडीएफबी सिविलियनों और सुरक्षाबलों /कार्मिकों की हत्या करने , जबरन धन ऐंठने और अपहरण करने जैसे कई तरह के अपराध कर रहा है । एनडीएफबी के उददेश्य और ध्येय ये हैं :- (i) बोडो लोगों की पृथक पहचान और सभ्यता बनाने के लिए सशस्त्र सघर्ष करके बोडोलैंड को स्वतंत्र कराना : (ii) स्वतंत्रता , समानता और भ्रातृत्व को बढावा देने के लिए बोडो लोगों के प्रजातांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करना ., (iii) बोडो राष्ट्र को सामाजिक-राजनैतिक और आर्थिक शोषण , अन्याय , दमन और उपनिवेशिता से मुक्त करना., और (iv) क्षेत्र के दलित आदिवासी राष्टिकों

के साथ भारत - बर्मा क्षेत्र की राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना । अपनी स्थापना से ही एनडीएफबी अपने अलगाववादी उददेश्य के अनुसरण में बोडो लोगों के क्षेत्रों के अन्तर्गत दारांग , सोनितपुर , कोंकराझार , बोंगईगांव , नालबाडी, बारपेटा और कामरूप जिलों में बडे पैमाने पर आतंकवादी हिंसा में लिप्त रहा है जिससे गैर आदिवासी लोगों में व्यापक रूप से भय और असुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है और बोडो लोगों ने भी एनडीएफबी के अलगाववादी सिद्धांत का विरोध किया है । अधिनियम के तहत एनडीएफबी को सबसे पहले 23.11.1992 को गैरकानूनी संगम के रूप में घोषित किया गया था । क्योंकि एनडीएफबी के उददेश्य , ध्येय , नीति, कार्यक्रम और हिंसा के स्वरूप में कोई परिवर्तन नही आया है इसलिए 23.11.1994 , 23.11.1996 , 23.11.1998 की नई अधिसूचनाओं और दिनांक 23.11.2000 की वर्तमान अधिसूचना के अनुसार इसे समय समय पर गैर कानूनी संगम घोषित करने की अवधि बढाई जाती रही है । सभी पूर्व अधिसूचनाओं की विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण द्वारा पुष्टि की गई थी जिसकी स्थापना इस मामले पर न्याय निर्णय लेने के लिए की गई थी । एनडीएफबी को गैरकानूनी संगम घोषित करने भी इसने सेना/पुलिस /सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर हमला करने, सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों की हत्या करने , सुरक्षा बलों का मनोबल गिराने के लिए उनसे हथियार और गोला बारूद लूटने सहित आतंकवादी हिंसा की अपनी गतिविधियों को तेज कर भारत सरकार के विरुद्ध अलगाववादी गतिविधियां और विप्लव का युद्ध जारी रखा । इस संगठन ने बंगलादेश में खगरासारी जिले में और असम के दारांग,नालबाडी , कोकरांझार ओर बारपेटा जिलों के सामने भूटान में अनेक शिविर स्थापित किए हैं जहां इसने 800 से अधिक संवर्गो को प्रशिक्षित किया है । इसने दारांग और सोनितपुर जिलों में असम - अरुणाचल प्रदेश के सीमा क्षेत्रों में कुछ प्रशिक्षण शिविर भी स्थापित किए हैं । भूटान में शिविरों की स्थापना से एनडीएफबी संवर्गो के प्रशिक्षण को बिना रोक-टोक के जारी रखने की सुविधा हुई है और वहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद असम में लूट पाट की अपनी गतिविधियों को जारी रखने में वे सक्षम हुए हैं । 23.11.1998 से 30.6.2000 तक की अवधि के दौरान असम में एनडीएफबी संगठन पर आरोप्य हिंसा की कुल मिलाकर 240 घटनाओं की सूचना मिली थी । इस अवधि के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने 171 व्यक्तियों (28 सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों और 143 सिविलियनों) की हत्या की और सेना/पुलिस/सुरक्षाबलों के कार्मिकों और सिविलियनों पर सशस्त्र हमलों में सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों सहित 121 व्यक्तियों को घायल किया । इसी अवधि के दौरान एनडीएफबी के कार्यकर्ताओं ने सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों के कार्मिकों पर घात लगाकर हमले करके उनसे विभिन्न प्रकार के 43 हथियार और गोला बारूद के 943 राउंड लूट लिए । इसके अतिरिक्त चाय के बाग के प्रबंधकों समेत संगठन ने 53 व्यक्तियों का अपहरण किया जिनमें से 12 व्यक्तियों को बाद में मुक्त कर दिया गया , 6 व्यक्तियों की हत्या कर दी और 35 व्यक्ति अभी भी संगठन की गिरफ्त में है । एनडीएफबी के कार्यकर्ताओं ने उक्त अवधि के दौरान अपहरण के जरिए बोडोलैंड स्वायत्त परिषद क्षेत्र में विभिन्न व्यक्तियों , व्यवसायियों , सरकारी अधिकारियों , चाय बागान के अधिकारियों आदि से बड़ी मात्रा मे अनिर्दिष्ट राशि लूटी । असल में एनडीएफबी द्वारा लूट / अपहरण ऐसे अधिकांश मामलों की सूचना पुलिस को नहीं दी गई क्योंकि प्रभावित दल सदैव संगठन द्वारा प्रतिहिंसा के डर से पुलिस में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के इच्छुक नहीं होते । एनडीएफबी ने बडी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार प्राप्त कर लिए हैं और इसने 400 नए संवर्गो को

भूटान में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाने हेतु भर्ती किया है । इसने सरकारी अधिकारियों , व्यापारी वर्ग के लोगो और अन्य सिविलियन जनता से बडी मात्रा में धन ऐंठने की एक सुव्यवस्थित नीति निर्धारित की है । इसने बोडोलैड स्वायत परिषद क्षेत्र में आप्रवासी मुलसमानों , बंगाली हिन्दुओं , नेपालियों और आदिवासियों की हत्या करके जातीय क्लेश उत्पन्न करने की रणनीति जारी रखी हुई है ताकि वे अपने घरों को छोडने के लिए मजबूर हो जाएं । हिंसा की उनकी ज्यादती का नवीनतम लक्ष्य आदिवासी हैं इससे हजारों लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं । कुछ आदिवासियों को सरकार द्वारा विभिन्न राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है किन्तु उनमें से जब कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाने, नदी आदि से मछलियां पकड़ने जैसी अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए उन शिविरो से बाहर निकले तो उन्हें एनडीएफबी द्वारा गोलियों से भून दिया गया ।एनडीएफबी , भूटान मे शरणस्थली और प्रशिक्षण शिविर स्थापित करता रहा है जहां से वह हमला करो और भागो की नीति अपनाकर सुरक्षित रूप से अपनी कार्रवाई कर रहा है । इस संगठन द्वारा हाल में विदेशों से लिए गए आधुनिक रूप से उन्नत हथियारों से इसकी मारक क्षमता बढ गई है और इसने असम में आन्तरिक सुरक्षा के परिदृश्य को नया आयाम प्रदान किया है । अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार से प्राप्त आसूचना रिपोर्टो से पता चलता है कि एनडीएफबी के अधिकांश बडे नेता अब भूटान या बंगलादेश के शिविरों में है जहां से वे असम मे अपने संगठन की कार्रवाई का संचालन कर रहे है । आसूचना रिपोर्टो से यह भी पता चलता है कि एनडीएफबी अब सेना/पुलिस/सुरक्षा बलों की चौकियों / निगरानी दलों के विरूद्ध नये सिरे से ठोस रूप से कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है और गैर -बोडो लोगों और विशेष रूप से आदिवासियों तथा बाहर से आए मुसलमानों की घात लगाकर हत्या करने कीतैयारी कर रहा है । श्री जितेन्दर बीर सिंह, निदेशक (असम) , गृह मंत्रालय भारत सरकार के हलफनामों के साथ 23.11.1998 से 30.6.2000 की अवधि के दौरान एनडीएफबी द्वारा की गई 32 बडी हिंसात्मक वारदातों की सूची रिकार्ड मे संलग्न है ।

श्री जी.के. कलिथा , संयुक्त सचिव, असम सरकार (पी डब्ल्यू-9) ने बताया है कि 23.11.1998 से 22.11.2000 की अवधि के दौरान एनडीएफबी के सदस्य कई गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त थे जिन में 360 हत्याएं , हथियार छीनने की48 और अपहरण की 58 वारदातें शामिल थीं । उन्होने अपने हलफनामें के साथ ऐसी गतिविधियों /वारदातों का ब्यौरा देते हुए विस्तृत चार्ट पेश किया है । उन्होने यह भी बताया है कि 23.11.2000 से 10.3.2001 तक की अवधि के दौरान, एनडीएफबी के कार्यकर्ताओं ने 91 हत्याएं की और 8 अपहरण किए । उन्होने एक विस्तृत चार्ट भी पेश किया है जिसमें 23.11.2000 से फरवरी,2001 तक की अवधि के दौरान की वारदातों के आंकडे दिए गए है। उन्होंने बताया है कि एनडीएफबी , अन्य गैरकानूनी संगठनो के साथ मिलकर, स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस समारोह का बहिष्कार करने का आहवान कर रहा है । उन्होने इस आरोप को सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है । इस आरोप को सिद्ध करने के लिए कि एनडीएफबी बडे पैमाने पर धन ऐठने के कार्यो में लगा हुआ है , श्री जी.के. कलिथा ने अनेक मांग पत्रों की फोटोप्रतियां पेश की है जो एनडीएफबी द्वारा रकम का भुगतान करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों /संगठनों को भेजे गए थे ।

7. श्री आर.डी. बरूआ, पुलिस अधीक्षक स्पैशल ऑपरेशन यूनिट , असम सरकार, दिसपुर गुवाहाटी ने बताया है कि उनकी डयूटी सारे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को मॉनीटर करना है । विभिन्न जिलों के सभी पुलिस अधीक्षक असम राज्य में आतंकवादी संगठनों की गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में उनको अपनी रिपोर्ट भेजते हैं । इस सूचना के आधार पर वे असम सरकार तथा भारत सरकार को अपनी रिंपोर्ट प्रस्तुत करते हैं ताकि संबंधित विभाग आतंकवादी संगठनों की आतंकवादी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सेना तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बारे में कार्रवाई कर सके । श्री बरूआ के अनुसार एनडीएफबी नृजातीय हिंसा की रणनीति जारी रखे हुए है और गैर-नृजातीय लोगों को धमकी दे रहे हैं । एनडीएफबी ने अनेक गैर नृजातीय ग्रुपों को बीएसी क्षेत्र छोडने को कहा है । उन्होने बताया है कि एनडीएफबी पर निरन्तर लगाए गए प्रतिबंध के बाबजूद भी एनडीएफबी भारत की संप्रभुता और अखंडता को छिन्न-भिन्न करने तथा लोगों में असुरक्षा की भावना फैलाने की दृष्टि से अनेक गैरकानूनी गतिविधियों में लगा हुआ है ।

8. श्री एम.पी. गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, दारांग जिला, असम (पी.डब्ल्यू-3) ने दारांग जिले में एनडीएफबी के सदस्यों की गैरकानूनी गतिविधियों के बारे में साक्ष्य दिए हैं । उन्होने 23.1.99 , 25.1.2000 , 25.8.2000 को हुई विशेष वारदातों का उल्लेख किया ।

9. श्री अनिल फुकन, पुलिस अधीक्षक , कोकराझार जिला, असम (पी.डब्ल्यू-4) ने 10.12.98,12.12.98,1.1.99,31.7.99,18.11.99,19.10.2000 और 22.1.2001 को एनडीएफबी की गैरकानूनी गतिविधियों के विशेष उदाहरण से संबंधित साक्ष्य दिए हैं ।

10. श्री पी.सी. नियोग, पुलिस अधीक्षक, बारपेटा जिला, असम (पी.डब्ल्यू-1) ने बताया है कि एनडीएफबी के सदस्य बहुत सक्रिय हैं तथा बारपेटा जिले मे बडे पैमाने पर गैरकानूनी गतिविधियों में लगे हुए हैं । उन्होने एनडीएफबी द्वारा 27.2.99,26.4.99,2.9.2000, 19.9.2000, 8.11.2000, 11.12.2000 तथा 21.12.2000 को की गई गैरकानूनी गतिविधियों के विशेष उदाहरण दिए ।

11. श्री अनुराग तंखा , पुलिस अधीक्षक , नालबाडी जिला, असम (पी.डब्ल्यू-2) ने बताया है कि एनडीएफबी के सदस्य नालबाडी जिले में बडे पैमाने पर गैरकानूनी गतिविधियो में लगे हुए हैं । उन्होंने 10.2.99 और 21.6.2000 को हुई वारदातों के उदाहरण दिए ।

12. श्री पी.के. दास, पुलिस अधीक्षक , सोनितपुर जिला, असम (पी.डब्ल्यू-5) ने बताया है कि एनडीएफबी के सदस्य सोनितपुर जिले में बडे पैमाने पर गैरकानूनी गतिविधियों में लगे हुए है । उन्होने 30.5.99 , 11.8.99 और 8.11.2000 को हुई वारदातों के बारे में बताया ।

13. श्री जी.पी. सिंह, पुलिस अधीक्षक , गुवाहाटी सिटी, असम (पी.डब्ल्यू-6) ने बताया है कि एनडीएफबी के सदस्य गुवाहाटी में बडे पैमाने पर गैरकानूनी गतिविधियों में लगे हुए हैं । उन्होने 19.8.2000 को हुई वारदात का विशेष रूप से उल्लेख किया ।

14. श्री पी.डी. गोस्वामी, पुलिस अधीक्षक , राजकीय रेलवे पुलिस, पांडु, गुवाहाटी, असम (पी. डब्ल्यू-7) ने बताया है कि अपने कर्तव्यों के निवर्हन के दौरान, उन्होंने एनडीएफबी उग्रवादियों द्वारा रेलवे लाइनों और प्लेटफार्मों को नष्ट करते और उन्हे नुकसान पहुँचाते हुए देखा । उन्होने 30.7.2000 तथा 31.7.2000 को हुए बम विस्फोटों का भी विशेष उल्लेख किया ।

15. जिन पुलिस अधिकारियो ने गवाह के रूप में बयान दिया वे अपने साथ संबंधित केस डायरियां लाए थे और अधिकरण ने उन केस डायरियों की जांच की थी ।

16. रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा साक्ष्य से मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि दिनांक 23 नवंबर,2000 की अधिसूचना में एनडीएफबी के खिलाफ लगाए गए आरोप सिद्ध हो गए हैं । मैं इस बात से भी संतुष्ट हूं कि केन्द्र सरकार की यह राय सही थी कि एनडीएफबी के कार्यकलाप भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए हानिकर है और यह विधिविरूद्ध संगम है । केन्द्र सरकार एनडीएफबी को तत्काल प्रभाव से विधिविरूद्ध संगम घोषित करने में पूर्णतः न्यायोचित है ।

17. रिकार्ड पर साक्ष्य को ध्यान मे रखते हुए , मेरी यह राय है कि दिनांक 23 नवंबर,2000 की अधिसूचना संख्या का0आ0 1043(अ) के अनुसार विधिविरूद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 उपबंधों के अधीन एनडीएफबी को विधिविरूद्ध संगम घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है । उक्त अधिसूचना में केन्द्र सरकार द्वारा की गई घोषणा की एतदद्वारा पुष्टि की जाती है ।

15 मई, 2001 को हस्ताक्षर किए गए तथा परिदत्त किया गया ।

ह0/-
न्यायमूर्ति सिरीयाक जोसफ
विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिकरण

[फा. सं. 11011/68/2000-एस. ई. IV]
जी. के. पिल्लै, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2001

S.O. 440(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967(37 of 1967), declared the National Democratic Front of Boroland (NDFB) to be an Unlawful association vide notification of the Government of India in the Ministry of Home affairs number S.O.1043 (E), dated the 23rd November, 2000 (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the said Act, constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O.1121 (E), dated the 15th December, 2000, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Justice Shri Cyriac Joseph Judge of Delhi High Court;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 15th December, 2000, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, made an order on the 15th May, 2001, confirming the declaration made in the said notification;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said order of the said Tribunal namely:-

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In re : National Democratic Front of Boroland (NDFB)

Coram : Hon'ble Mr. Justice Cyriac Joseph

Present : Mr. U. Hazarika, Advocate for Union of India.
Mr. Vijay Hansaria, Advocate for State of Assam.

O R D E R

(1) In exercise of the powers conferred by sub-section (i) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as 'the Act') the Central Government issued a notification S.O. 1043(E) dated 23rd November, 2000 declaring the National Democratic Front of Boroland to be an unlawful association. According to the said notification the Bodo Security Force since rechristened as National Democratic Front of Boroland (hereinafter referred to as the NDFB) has as its professed aim, the "Liberation" of Bodoland resulting in bringing about the secession of the said areas from India, in alliance with other armed secessionist organizations of the North East Region and to carry on struggle for the national liberation of Indo-Burma Region in alliance with like-minded organisations of that regional and thereby, the secession of Bodoland from India. The Central Government is of the opinion that the NDFB has :

(i) indulged in various illegal and violent activities intended to disrupt or which disrupt the

sovereign and territorial integrity of India in furtherance of its objective of achieving a separate Bodoland;

(ii) aligned itself with other unlawful organisations like the United Liberation Front of Asom (ULFA) and National Socialist Council of Nagaland (NSCN) to create a separate Bodoland; and

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities during the period when it had been declared as an unlawful association, thereby undermining the authority of the Government and spreading terror and panic among the people.

The Central Government is further of the opinion that the violent activities of NDFC include:-

(i) large scale violent and terrorist incidents including 171 killings attributed to the NDFB during the period from 23-11-98 to 30-6-2000;

(ii) indulging in extortions of money from businessmen, government officials and other civilians in addition to acts of kidnapping for ransom with a view to finance and execute plans for creation of a separate Bodoland;

(iii) embarking on a systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) publishing clandestine magazines highlighting the goal of the outfit and alleging exploitation by the Central Government and inciting the people to join the so-called liberation struggle thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers/government collaborators to identify targets for retaliatory action against them;

(vi) carnage and ethnic violence resulting in killings, destruction of property and exodus of thousands of non-Bodos inhabiting in Bodo dominated areas in Assam from Bongaigaon and Barpeta districts with a view to spread panic and insecurity among non-Bodos and forcing them to migrate from Bodo areas;

(vii) establishing camps and hideouts across the country's border to carry out its secessionist activities;

(viii) obtaining assistance from anti-Indian forces in other countries to procure arms and other assistance in their struggle for creation of a separate Bodoland etc.

The Central Government is also of the opinion that for the aforesaid reasons, the activities of the NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association.

(2) The Central Government was also of the opinion that unless the unlawful activities of the NDFB were kept under control, the organisation might re-group and re-arm itself, make fresh recruitments, indulge in violent, terrorist and secessionist activities, collect funds etc. and endanger life of innocent citizens and security forces personnel and that circumstances did exist which rendered it necessary to declare the NDFB as an unlawful association with immediate effect. The Central Government was also of the opinion that having regard to the activities of the NDFB mentioned above and to meet the sustained and ever increasing violence committed by the outfit in the recent past against the police, the armed forces and the civilians, it was necessary to declare the NDFB to be an unlawful association with immediate effect.

Therefore, in the above mentioned notification dated 23rd November, 2000, the Central Government, in exercise of the powers conferred by the proviso to Sub-section (3) of Section 3 of the Act, directed that the said notification shall, subject to any order that may be made under Section 4 of the Act, have effect from the date of its publication in the Official Gazette. The said notification dated 23rd November, 2000 was published in the Gazette of India (Extra Ordinary) dated 23rd November, 2000. Thus the said notification came into effect on 23rd November, 2000.

(3) By a subsequent notification SO 1121(E) dated 15th December, 2000 issued under Sub-section (1) of Section 5 of the Act, the Central Government constituted this Tribunal for the purpose of adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the NDFB as unlawful association. In the first sitting of the Tribunal on 12-01-2001 notice under Sub-section (2) of Section 4 of the Act was issued to the NDFB returnable on 2nd March, 2001. It was also directed that notice shall be served by publication in one issue of North East Times (English), Sentinel (English) and Dainik Asom (Assamees) as well as by broadcasting on Radio and Television. It was further directed that notice shall also be served by affixing a copy thereof at some conspicuous part of the office, if any, of NDFB and also by pasting the same on the Notice

Board in the office of each District Magistrate/Tehsildar at the Headquarters of the District/Tehsil, wherever possible. Pursuant to the order dated 12-01-01 of the Tribunal, the Central Government as well as the Government of Assam (hereinafter referred to as 'the State Government') filed affidavits regarding service of notice under Sub-section (2) of Section 4 of the Act. However it was noticed that even though the direction was to publish the notice in one issue of North East Times (English), Sentinel (English) and Dainik Asom (Assamees), the notice was in fact published in Assam Tribune (English), Sentinel (English) and Amar Asom (Asamees). Therefore, on 2-3-2001 the Tribunal directed that notice shall be published also in North East Times (English) and Dainik Asom (Asamees) returnable on 7-4-2001. In compliance with the said order dated 2-3-2001 notice was published in the North East Times (English) and Dainik Asom (Asamees) on 4-3-2001. Necessary affidavit regarding the service of the notice through publication was filed by Shri Jitender Bir Singh, Director (Assam), Ministry of Home Affairs, Government of India.

(4) In spite of service of notice as stated above, the NDFB did not appear before the Tribunal or file any objection. The Central Government and the State Government appeared and sought permission to file affidavits by way of evidence. Permission was granted to

the Central Government and the State Government to file affidavits by way of evidence. Thereupon Shri G.K. Kalitha, Joint Secretary, Government of Assam, Shri R.D. Baruah, Superintendent of Police, SOU, SB Headquarters, Kahilipara, Shri M.P. Gupta, Superintendent of Police, Darrang, Shri Anil Phukan, Superintendent of Police, Kokrajhar, Shri P.C. Neog, Superintendent of Police, Barpeta, Shri A. Tankha, Superintendent of Police, Nalbari, Shri P.K. Das, Superintendent of Police, Sonitpur, Shri G.P. Singh, Superintendent of Police, City Guwahati, Shri P.D. Goswami, Superintendent of Police Railway, Pandu, Shri Ratti Ram, Under Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India and Shri Jitender Bir Singh, Director (Assam), Ministry of Home Affairs, Government of India filed affidavits by way of evidence. By order dated 7-4-2001 the Central Government and the State Government were directed to produce their witnesses on 11-1-2001 for recording evidence. Accordingly Shri P.C. Neog, Superintendent of Police, Barpeta (PW1), Shri A. Tankha, Superintendent of Police, Nalbari (PW2), Shri M.P. Gupta, Superintendent of Police, Darrang (PW3), Shri Anil Phukan, Superintendent of Police, Kokrajhar (PW4), Shri P.K. Das, Superintendent of Police, Sonitpur (PW5), Shri G.P. Singh, Superintendent of Police, City Guwahati (PW6), Shri P.D. Goswami, Superintendent of Police, Railway, Pandu (PW7), Shri R.D. Baruah, Superintendent of Police,

SOU, SB Headquarters, Kahilipara (PW8), Shri G.K. Kalita, Joint Secretary, Government of Assam (PW9) and Shri Jitender Bir Singh, Director (Assam), Ministry of Home Affairs, Government of India (PW10) appeared as witnesses before the Tribunal on 11-1-2001 and evidence was recorded. In their depositions, the witnesses confirmed the statements contained in the affidavits filed by them. Nobody appeared on behalf of the NDFB and nobody cross-examined the witnesses.

(5) From the materials placed on record and the evidence adduced on behalf of the Central Government and the State Government it is seen that the Bodo Security Force, rechristened as National Democratic Front of Boroland (NDFB) was formed in 1986 with the avowed aim and objective of liberating Bodo inhabited areas of Assam from India and to form an independent nation through armed struggle. It continues to adhere to its ideology assiduously. In furtherance of the objectives of a separate Bodoland through armed struggle, NDFB has been committing several crimes like killings of civilians and security forces/police personnel, extortions and kidnappings. The aims and objectives of NDFB are (i) to liberate Bodoland with armed struggle for maintaining distinct identity and civilization of Bodos; (ii) to transform Bodos into a democratic socialist society to

promote liberty, equality and fraternity; (iii) to free Bodo nation from socio-political and economic exploitation, oppression, suppression and colonization; and (iv) to struggle for national liberation of Indo-Burma region in alliance of the oppressed aboriginal nationalities of the region. Since its inspection, the NDFB in pursuance of its secessionist objective has been indulging in large scale terrorist violence in the Bodo-inhabited areas within the districts of Darrang, Sonitpur, Kokrajhar, Bongaigaon, Nalbari, Barpeta and Kamrup causing widespread panic and feeling of insecurity among the non-tribal population and also Bodos opposed to the secessionist ideology of the NDFB. The NDFB was first declared as an unlawful association under the Act on 23-11-1992. Since there has been no change in the aims, objectives, policies, programmes and nature of violence of the NDFB, its declaration as unlawful association was extended from time to time as per fresh notifications dated 23-11-1994, 23-11-1996, 23-11-1998 and the present notification dated 23-11-2000. All the previous notifications were confirmed by the Unlawful Activities (Prevention) Tribunals constituted to adjudicate the matter. Even after declaring it as an unalwful association, the NDFB continued with secessionist activities and war of insurrection against the Government of India by stepping up its acts of terrorist violence including attacks on army/police/security forces

personnel, killing of army/police/security forces personnel, looting of arms and ammunition from them with a view to demoralise the security forces. The outfit is known to have established a number of camps in Bangladesh inside Khagrasari District and in Bhutan opposite Darrang, Nalbari, Kokrajhar and Barpeta districts of Assam where it has trained more than 800 cadres. It has also established some training camps in Assam-Arunachal Pradesh border areas in Darrang and Sonitpur districts. The establishment of camps in Bhutan has facilitated the training of the NDFB cadres to go unchecked and has enabled them to continue with their depredatory activities in Assam after being trained there. During the period from 23-11-1998 to 30-6-2000 altogether 240 incidents of violence attributable to the NDFB outfit were reported in Assam. During this period activists of the outfit killed 171 persons (28 army/police/security forces personnel and 143 civilians) and also injured 121 persons including army/police/security forces personnel in the course of their armed attacks on the army/police/security forces personnel and civilians. During the same period the NDFB activists looted 43 numbers of arms of various assortments and 943 rounds of ammunition from the army/police/security forces personnel after laying ambushes against them. Besides, altogether 53 persons including Tea-garden Managers were kidnapped by the outfit, of whom 12 persons were subsequently released, 6 persons

were killed and 35 persons are still in the captivity of the outfit. The NDFB activists looted an unspecified huge amount of money from various individuals, businessmen, Government officials, Tea-garden executives etc. in the Bodoland Autonomous Council area by way of extortion during the above period. Significantly, most of the cases of such looting/extortion by the NDFB have remained unreported to the Police as the aggrieved parties always seem to be unwilling to lodge any formal complaint with the Police due to fear of reprisal by the outfit. The NDFB has acquired large quantity of sophisticated weapons and it has recruited about 400 fresh cadres for sending them for training in Bhutan. It has embarked upon a policy of systematic extortion of huge sums of money from Government officials, members of business community and other civilian population. It has also continued with its strategy of ethnic cleansing by indulging in killing of immigrant Muslims, Bengali Hindus, Nepalis and Adivasis in the Bodoland Autonomous Council areas with a view to compelling them to leave their settlements. The latest targets of their orgy of violence are the Adivasis and several thousands have already been rendered homeless. Such Adivasis were sheltered by the Government in various relief camps but even some of them were gunned down by the NDFB when they came out of the camps to meet their daily needs like collection of firewood from the jungle, fishing in the

river etc. The NDFB has been setting up sanctuaries and training camps in Bhutan from where they have been safely operating by adopting hit and run tactics. The latest acquisition of sophisticated upgraded weaponry by the outfit from abroad has given the outfit more striking capability and has added a new dimension to the internal security scenario in Assam. Intelligence reports received from across the international border indicate that most of the top NDFB leaders are now in camps in Bhutan or Bangladesh wherefrom they are directing the operations of their cadres in Assam. Intelligence repots further indicate that the NDFB is making fresh preparations to launch concerted operations against the army/police/ security forces posts/patrol parties and to indulge in targeted killing of the non-Bodos particularly the Adivasis and the immigrant Muslims. Along with the affidavit of Shri Jitender Bir Singh, Director (Assam), Ministry of Home Affairs, Government of India a list of 32 major incidents of violence by the NDFB during the period from 23-11-1998 to 30-6-2000 has been placed on record.

(6) Shri G. K. Kalitha, Joint Secretary, Government of Assam (PW-9) has stated that during the period from 23-11-98 to 22-11-2000, the NDFB members were involved in numerous unlawful activities including 360 murders/killings, 48 arms snatching and 58 kidnappings. He

has produced alongwith his affidavit a detailed chart giving the details of such activities/incidents. He has also stated that during the period from 23-11-2000 to 10-3-2001, the NDFB activists resorted to 91 murders/ killings and 8 kidnappings. He has also produced a detailed chart giving figures of the incidents during the period from 23-11-2000 to February, 2001. He has pointed out that, joining with other unlawful organisations, NDFB has been giving calls to boycott celebration of Independence Day and Republic Day. He has produced documentary evidence to prove the allegation. To substantiate the allegation that NDFB has been indulging in large scale acts of extortions, Shri G. K. Kalitha has produced photocopies of several demand letters issued by NDFB to different persons/organisations for payment of money.

(7) Shri R.D. Baruah, Superintendent of Police, Special Opration Unit, Government of Assam, Dispur, Guwahati has stated that his duty is to monitor the terrorist activities in the entire State. All the Superintendents of Police of various districts send to him their reports regarding the unlawful activities of terrorist organisations in the State of Assam. Based on such information he submits reports to the Government of Assam as well as to the Government of India so that the

respective departments can take steps relating to deployment of military and para military forces to control terrorist activities of the terrorist organisations. According to Mr. Baruah, NDFB is continuing with the strategy of ethnic cleansing and has been issuing threats to the non-ethnic population. The NDFB has asked the various non-ethnic groups to leave BAC areas. He has stated that despite the successive bans imposed on the NDFB, the NDFB has been indulging in various unlawful activities with a view to disrupt the sovereignty and integrity of India and to create a deep sense of insecurity among the people.

(8) Shri M.P. Gupta, Superintendent of Police, Darrang District, Assam (PW-3) has given evidence regarding the unlawful activities of the members of the NDFB in Darrang District. He has mentioned the specific incidents on 23-1-99, 25-1-2000, 25-8-2000.

(9) Mr. Anil Phukan, Superintendent of Police, Kokrajhar District, Assam (PW-4) has given evidence relating to the specific instances of unlawful activities by NDFB on 10-12-98, 12-12-98, 1-1-99, 31-7-99, 18-11-99, 19-10-2000 and 22-1-2001.

(10) Shri P.C. Neog, Superintendent of

Police, Barpeta District, Assam (PW-1) has stated that the members of NDFB are very active and are indulging in large scale unlawful activitis in Barpeta District. He has cited specific instances of unlawful activities by NDFB on 27-2-99, 26-4-99, 2-9-2000, 19-9-2000, 8-11-2000, 11-12-2000 and 21-12-2000.

(11) Shri Anurag Tankha, Superintendent of Police, Nalbari District, Assam (PW-2) has stated that the members of NDFB are indulging in large scale unlawful activities in Nalbari District. He has cited instances like the incidents on 10-2-99 and 21-6-2000.

(12) Shri P. K. Das, Superintendent of Police, Sonitpur District Assam (PW-5) has stated that the members of NDFB have been indulging in large scale unlawful activities in Sonitpur District. He has quoted the incidents on 30-5-99, 11-8-99 and 8-11-2000.

(13) Shri G.P. Singh, Superintendent of Police, Guwahati City, Assam (PW-6) has stated that the members of NDFB are very active and are indulging in large scale unlawful activitis in Guwahati. He has particularly referred to an incident on 19-8-2000.

(14) Shri P.D. Goswami, Superintendent of

Police, Government Railway Police, Pandu, Guwahati, Assam (PW-7) has stated that during the course of discharge of his duties he found a number of cases of destroying and damaging railway tracks and platforms by NDFB militants. He has also made specific reference to the bomb blasts on 30-7-2000 and 31-7-2000.

(15) The Police officers who deposed as witnesses had brought the respective case diaries with them and the case diaries were perused by the Tribunal.

(16) From the materials and evidence on record, I am satisfied that the allegations against the NDFB contained in the Notification dated 23rd November, 2000 stand proved. I am also satisfied that the Central Government rightly held the opinion that the activities of the NDFB are detrimental to the sovereignty and integrity of India and that it is an unlawful association. The Central Government was fully justified in declaring the NDFB as an unlawful association with immediate effect.

(17) In view of the evidence on record I am of the view that there was sufficient cause for declaring the NDFB as an unlawful association under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 as per the

Notification S.O. 1043(E) dated 23rd November, 2000. Hence the declaration made by the Central Government in the said Notification is hereby confirmed.

Signed and delivered this the 15th day of May, 2001.

Signature

Justice Cyriac Joseph

Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

[F. No. 11011/68/2000-N.E. IV]
G. K. PILLAI. Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press. Ring Road. Mayapuri. New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.